न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 19/2022

प्रार्थी

1. श्री बाबूगिरी पुत्र श्री प्रतापगिरी गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री छगनलाल पुत्र श्री पुखराज जाति जीनगर निवासी इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत भावरी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती रंजन कुंवर पत्नि श्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी सरवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 26.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 23.08.2013 क्षेत्रफल 1690 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा जरिए वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:50:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमो[illegible] दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आक[illegible] हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी [illegible] पट्टा संख्या 25 दिनांक 23.08.2013 क्षेत्रफल 1690 व[illegible] यह है कि जिस भूमि का पट्टा बनाया गया है वह इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज में म[illegible]ी के मन्दिर की सार्वज[illegible]योग उपभोग की भूमि है। साथ ही अप्रार्थी संख्या दो का पुराने कब्जे की भूमि ब[illegible] है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो सनवाडा आर में निवासी करती है, जिसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि समस्त दस्तावेज सनवाडा आर के है तथा अप्रार्थी संख्या दो का पति राजकीय सेवा में अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त है, जो कभी भी सरूपगंज में नहीं रहा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है, तब उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा गलत आधार पर माना गया है। अप्रार्थी संख्या दो का पति सनवाडा आर में भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने तथा अपने रिश्तेदारों की भूमि पर भी अतिक्रमण का आदि रहा है, जिसके द्वारा सरूपगंज में इन्द्रा कॉलोनी में तथाकथित पट्टा तत्कालीन सरपंच से भ्रष्टाचार कर फर्जी रूप से बनाया है, जबकि न तो वह स्वयं या उसकी पत्नि का कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है तथा न ही कभी इन्द्रा कॉलोनी में निवास किया है। उक्त भूमि सार्वजनिक माताजी के मन्दिर की भूमि है, जिस पर पट्टे की आड में निर्माण भी कर लिया है, जिससे उक्त पट्टे को निरस्त करना आवश्यक है। यह कि इन्द्रा कॉलोनी में निवास करने वाले व्यक्तियों के माताजी के मन्दिर की सार्वजनिक भूमि का फर्जी रूप से तत्कालीन सरपंच से भ्रष्टाचार कर बनाया गया पट्टा निरस्त करना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 23.08.2013 क्षेत्रफल 1690 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज माताजी के मन्दिर में सार्वजनिक उपयोग की कोई भूमि नहीं आई हुई है एवं न ही कोई मन्दिर का अस्तित्व ही है एवं न ही कोई मन्दिर की भूमि है। प्रार्थी ने गलत कथन कर निगरानी पेश की है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो सरूपगंज में निवास करती है एवं निवास करते हुए वर्षों गुजर गए है एवं अप्रार्थी संख्या दो का जिस भूमि पर पट्टा विलेख जारी किया है, वहां पर कच्चा मकान था, जो वर्तमान में पक्का मकान बनाए हुए भी 15 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है, जहां अप्रार्थी संख्या दो परिवार सहित निवास कर रही है, जिसकी जानकारी प्रार्थी स्वयं को भी है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के मकान के दक्षिण दिशा में श्री शंकरसिंह पुत्र श्री भीखसिंह का मकान आया हुआ है एवं उत्तर दिशा में प्रार्थी श्री बाबुगिरी का मकान आया हुआ है एवं उक्त दोनों मकानों के उत्तर व दक्षिण दिशा वाली दीवार श्री शंकरसिंह व प्रार्थी के पुत्र श्री सुरेश गिरी ने सामलाती खर्चे करके सामलाती दीवार का निर्माण करवाया, जिसका एक इकरारनामा भी दिनांक 20.02.2012 व दिनांक 10.06.2011 को पक्षकारान के मध्य नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया एवं उक्त दीवार का खर्चा अप्रार्थी संख्या दो ने उन्हें अदा किया, जो आपसी इकरार से स्पष्टतया साबित है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा में भी वाद पेश किया था कि प्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू करने एवं सरकारी भूमि व पहाडी की भूमि को हडपने व अवैध रूप से निर्माण कार्य करने के संदर्भ में प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद पेश किया था, जिस पर अ[illegible] उक्त भूमि बाबत यथास्थिति के आदेश पारित किए गए, जो आदेश दि[illegible] 2016 को पारित किए गए। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या [illegible] से प्रार्थी ने गलत कथन करके प्रार्थी के पट्टेशुदा भूमि को मन्दिर की भूमि होना बताकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों के तहत विधिवत रूप से पट्टा शुल्क ले[illegible] पट्टा जारी किया है, तत्पश्चात ग्राम पंचायत भावरी द्वारा उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक कार्यालय भावरी में पंजीयन कराया गया है। यह कि प्रार्थी का उक्त पट्टा विलेख से कोई सम्बन्ध नहीं है केवल मात्र अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर चबूतरा निर्माण करने के विरूद्ध में प्रार्थी के विरूद्ध वाद

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:50:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करने से प्रार्थी द्वेष भावना रखता है। इस कारण प्रार्थी ने गलत कथन करके व रंजिश वश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री बलवन्त कुमार मेघवाल ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी, परन्तु इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहने से एवं इनको जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं जाने से इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता बहस हेतु नियत तारीख पेशी पर भी उपस्थित नहीं हुए।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 25 दिनांक 23.08.2013 क्षेत्रफल 1690 वर्गफुट जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि माताजी के मन्दिर के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि माताजी के मन्दिर की भूमि नहीं होकर उनके मालिकी स्वामित्व की है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो वर्षों से [illegible]ली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि [illegible] अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि को माताजी के म[illegible] उपभोग की भूमि होने का कथन तो किया गया है, परन्तु इनके द्वारा [illegible] कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि माताजी के मन्दिर की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि को माताजी के मन्दिर के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि होने का साबित करने में असफल रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र श्री सुरेश गिरी पुत्र श्री बाबुगिरी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:50:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो के मध्य दिनांक 10.06.2011 को एक आपसी लिखत इकरारनामा हुआ, जिस पर प्रार्थी श्री बाबूगिरी द्वारा गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी किए गए है, जिसमें मौजा सरूपगंज में रोहिडा रोड इन्द्रा कॉलोनी में स्थित मकान का उल्लेख किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो का मकान इन्द्रा कॉलोनी में स्थित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड में विचाराधीन है एवं यह तथ्य प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो अधिवक्ताओं के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड में विचाराधीन है। अतः न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड में विचाराधीन वाद के निर्णित होने से पूर्व इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं निर्णय पारित किए जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सुखाधिकारों का हनन होने की भी संभावना है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही पक्षकारान को यह विकल्प दिया जाता है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड में विचाराधीन वाद के निर्णित होने के पश्चात समस्त दस्तावेजातों के साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण चाहे तो इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner